



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002



जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

E-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in Phone-0651-2481909 / 2480413

पत्रांक-22पी 2(2)4 / 2016 - 967

दिनांक- 01.03.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय-वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोडरमा जिला के मौजा-परतांगो के खाता नं०-20, प्लॉट नं०-02, रकबा(25.11 एकड़) 10.16 हे० क्षेत्र में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु सर्वश्री रामचन्द्र मेहता, मनोज कुमार मेहता, अमिताभ कुमार के पक्ष में वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग-(1)वन विभागीय पत्रांक-4001 दिनांक-23.08.2016 एवं पत्रांक-5465 दिनांक-02.12.2016

(2)प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-906 दिनांक-16.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय में प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा मंतव्य की मांग की गई थी।

ज्ञातव्य हो कि परतांगो अधिसूचित वन भूमि में अपयोजन हेतु प्रस्तावित 10.16 हे० क्षेत्र कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी से 5.44 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है। कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के चारों ओर Eco-Sensitive Zone अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित है(छायाप्रति संलग्न)। प्रस्तावित Eco-Sensitive Zone में परतांगो अधिसूचित वन भूमि का नाम सम्मिलित नहीं है। { कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी हेतु प्रस्तावित Eco-Sensitive Zone पुस्तिका की पृ० 22-24 की छायाप्रति संलग्न }

अंतिम रूप से कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी हेतु Eco-Sensitive Zone अधिसूचित नहीं होने तथा प्रस्तावित क्षेत्र के आश्रयणी से 10 कि०मी० के अधीन पड़ने के कारण NBWL में विचार हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Website Portal पर Upload किया गया है। [Part-II की छाया प्रति संलग्न]

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र-2 द्वारा विभाग को समर्पित प्रस्ताव पर अधोहस्ताक्षरी की सहमति दी जा चुकी है।

अतएव अनुरोध है कि उक्त अंकित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,